उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 39121

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का.अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

अपीलकर्ता : श्री रोहित गोयल पुत्र श्री जी,डी. गोयल निवासी हाउस न. 424 खुडबुडा, देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता :

1. लोक सूचना अधिकारी/ जिज्ञासा यूनिवर्सिटी (हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी), पोस्ट–शेरपुर, चकराता रोड़, देहरादून, 248197।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिज्ञासा यूनिवर्सिटी (हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी), पोस्ट–शेरपुर, चकराता रोड़, देहरादून, 248197।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति जिज्ञासा यूनिवर्सिटी (हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी), पोस्ट–शेरपुर, चकराता रोड़, देहरादून, 248197।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।

आदेशः

आज सुनवाई के समय अपीलार्थी अनुपस्थित हैं। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/सुश्री शालिनी बहुगुणा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/डॉ अम्पू व अपीलीय अधिकारी / श्री अमित कुमार अधिकृत अधिवक्ता श्री अंकित लाम्बा के साथ उपस्थित हुए।

AG

2. गत दिनांक 14.10.2024 को पारित आदेश का प्रस्तर–3 लगायत 5 निम्नवत हैः

प्रस्तर–3 गत दिनांक 30.09.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–5 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पत्र दिनांक 01.04.2024 के सापेक्ष बिन्दुवार सूचना की प्रति आयोग–के समक्ष प्रस्तुत की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना को अपराह्न कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति अपीलार्थी द्वारा अपराह्न कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्ति अंकित करते हुए प्राप्त सूचना का अवलोकन किया गया। **सूचना प्राप्ति के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 14.10.2024 पत्र प्रस्तुत करते हुए पत्र दिनांक 01.04.2024 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी सूचना के बिन्दु संख्या–1, 2, 4, 5, 6 में प्राप्त सूचना पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए बिन्दु संख्या–3 व 7 के सापेक्ष सूचना अप्राप्त होने तथा अपने मूल अनुरोध पत्र में बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी देहरादून को प्रेषित किये गए पत्र दिनांक 01.12.2022 की सूचना आतिथि तक प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया है।**

प्रस्तर–4 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 14.10.2024 की प्रति आदेश के साथ संलग्न कर लोक सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि **अपीलार्थी के पत्र दिनांक 01.04.2024 में उल्लेखित बिन्दु संख्या–3 व 7 के सापेक्ष पूर्ण सूचना प्रेषित करते हुए मूल अनुरोध पत्र में उल्लेखित वांछित पत्र दिनांकित 01.12.2022 की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र**

AG

में वांछित दिनांकित 01.12.2022 का पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो इस संबंध में अपीलार्थी को लिखित में अवगत कराया जाये।

प्रस्तर–5 प्रस्तुत अपील में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत अपील में पूर्व में दिये गये कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए **आदेशित किया जाता है कि आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, आगामी सुनवाई की तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।**

3. गत दिनांक 14.10.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–4 के अनुपालन में सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी के आपत्ति पत्र दिनांक 14.10.2024 के सापेक्ष सूचना प्रेषित कर दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की गयी सूचना एवं प्रस्तुत तथ्यों से सूचना पर्याप्त पायी गयी। अपीलकर्ता की अनुपस्थिति एवं अपीलकर्ता द्वारा कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किये जाने से प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपील में कुछ नहीं कहना हैं तथा प्रकरण पर अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

4. गत दिनांक 14.10.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–5 के अनुपालन में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी स्वयं उपस्थित हुए किन्तु पुनः उनके द्वारा पूर्व में दिए गए कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रेषित न किये जाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) व प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपीलार्थी के प्रथम अपील पर सुनवाई न किये जाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत

AG

कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आयोग के आदेश के क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाना सूचना अधिकार अधिनियम की अवमानना है।

5. प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य में राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में व्यवस्थाओं के कारण सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन नहीं हो रहा है। अधिनियम के अंतर्गत विधिवत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त न होने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों एवं अपीलों का निस्तारण नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय प्रबंधन/प्रशासन द्वारा महज खानापूर्ति के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाते हैं। नामित अधिकारियों को न तो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होती है और न ही उन्हें इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न दिए जाने की स्थिति में प्रथम अपील योजित किये जाने का प्राविधान है लेकिन निजी विश्वविद्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा नामित होने के कारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अपील का निस्तारण व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है। **प्रश्नगत प्रकरण में भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपीलार्थी के प्रथम अपीलीय पत्र पर कोई सुनवाई ही योजित नहीं की गयी। वर्णित स्थिति में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जाती है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रथम अपील की सुनवाई की व्यवस्था शासन स्तर पर करते हुए शासन स्तर पर ही प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की व्यवस्था की जाये।**

6. लोक प्राधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य अधिनियम के तहत हुई है जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। यह अत्यंत निंदनीय है कि विश्वविद्यालय में सूचना अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुरोध पत्र एवं प्रथम अपीलों को

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
AG

प्राविधानों के अनुरूप संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिनियम के प्राविधानों से भिज्ञ नहीं हैं। **जिज्ञासा यूनिवर्सिटी (हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी) देहरादून के कुलपति को आदेश की प्रति पृथक से प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जाये तथा ऐसा न किये जाने की स्थिति में भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**

7. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लोक सूचना अधिकारी / डॉ0 अम्पु हरिकृष्णनन, रजिस्ट्रार, हिमगिरी जी़ यूनिवर्सिटी (जिज्ञासा यूनिवर्सिटी) देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार को गम्भीरता से न लेते हुए अपीलार्थी को सूचना प्रदत्त किये जाने में अवरोध एवं विलम्ब की पुष्टि होती है। **अतः उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / डॉ–अम्पू पर रूपये 25,000/– (पच्चीस हज़ार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।**

8. **लोक सूचना अधिकारी / डॉ0 अम्पु हरिकृष्णनन, रजिस्ट्रार, हिमगिरी जी़ यूनिवर्सिटी (जिज्ञासा यूनिवर्सिटी) देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित शास्ति की धनराशि वह सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 (क) व (ङ) के अनुसार आयोग के आदेश प्राप्ति के 03 माह की अवधि समाप्त होने पर ई–चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराएंगे। यह भी अवगत कराया जाता है कि यह धनराशि https://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx पर Quick Pay के माध्यम से खाता शीर्ष (0070) other Administration services के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "0070601180100 Under Right to Information Act 2005" Services में भी जमा की जा सकती है। डॉ0 अम्पु हरिकृष्णनन,**

AG

रजिस्ट्रार, हिमगिरी जी़ यूनिवर्सिटी (जिज्ञासा यूनिवर्सिटी) देहरादून उक्त राशि राजकोष में जमा कराये जाने का प्रमाण आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त राशि राजकोष में जमा न कराये जाने पर जिज्ञासा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त राशि की कटौती उनके वेतन/देयकों से कटौती कर राजकोष में जमा कराते हुए तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जायेगा।

9. प्रस्तुत द्वितीय अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(योगेश भटट)

दिनांक 29.11.2024

राज्य सूचना आयुक्त

AG